"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 2019 — श्रावण 12, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 3-5/2013/17 (पार्ट 1) . — अटल नगर, दिनांक 3 अगस्त 2019

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार झा की अध्यक्षता में जीरम घाटी घटना की जाँच हेतु गठित एकल सदस्यीय विशेष न्यायिक जाँच आयोग, मुख्यालय जगदलपुर,**
**(जीरम घाटी में घटित घटना के जाँच हेतु गठित विशेष न्यायिक जाँच आयोग)**

### अधिसूचना

[अंतर्गत नियम 5(2) (ख) कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (केन्द्रीय) नियम, 1972 ]

### सर्वसाधारण को सूचना

छ०ग० शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमाँक एफ 3-5/2013/1 7 (पार्ट 1), रायपुर दिनाँक 28/05/2013 द्वारा थाना-दरभा अन्तर्गत जीरम घाटी क्षेत्र में दिनाँक-25/05/2013 को नक्सलियों द्वारा कारित हिंसात्मक घटना की विशेष जाँच हेतु **माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा,** न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अध्यक्षता में विशेष न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया है, जिसके न्यायिक जाँच के बिंदुओं में छ०ग० शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमाँक-19, **दिनाँक-21/01/2019** के द्वारा **अतिरिक्त बिंदु** समाहित किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. नवंबर 2012 में स्व० महेन्द्र कर्मा पर हुये हमले के पश्चात् क्या उनकी सुरक्षा की समीक्षा प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप के द्वारा की गई थी?

2. स्व० महेन्द्र कर्मा को नवंबर 2012 में उन पर हुये हमले के पश्चात्, उनके द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सुरक्षा की मांग पर किस स्तर पर विचार/निर्णय किया गया था और उस पर क्या कार्यवाही की गई थी?

3. गरियाबंद जिले में जुलाई 2011 में स्व० नंद कुमार पटेल के काफिले पर हुये हमले के पश्चात्, क्या स्वर्गीय पटेल एवं उनके काफिले की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी और क्या उन अतिरिक्त सुरक्षा मानकों का पालन जीरम घाटी घटना के दौरान किया गया?

4. क्या राज्य में नक्सलियों के द्वारा पूर्व में किये गये बड़े हमलों को ध्यान में रखते हुए नक्सली इलाकों में यात्रा आदि हेतु किसी निर्धारित संख्या में या उससे भी अधिक बल प्रदाय करने के कोई दिशा–निर्देश थे? यदि हाँ तो उनका पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्या पूर्व के बड़े हमलों की समीक्षा कर कोई कदम उठाये गये?

5. नक्सल विरोधी ऑपरेशन में और विशेषकर टी. सी. ओ. सी. की अवधि के दौरान यूनिफाईड कमाण्ड किस तरह अपनी भूमिका निभाती थी? यूनिफाईड कमाण्ड के अध्यक्ष के कर्तव्य क्या थे और क्या यूनिफाईड कमाण्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने उन कर्तव्यों का उपर्युक्त निर्वहन किया?

6. 25 मई, 2013 को बस्तर जिले में कुल कितना पुलिस बल मौजूद था? क्या परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम की अवधि में बस्तर जिले से पुलिस बल दूसरे जिलों में भेजा गया? यदि हाँ तो किस कारण से और किसके आदेश से? क्या इसके लिये सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई थी?

7. क्या नक्सली किसी बड़े आदमी को बंधक बनाने के पश्चात् उन्हें रिहा करने के बदले अपनी माँग मनवाने का प्रयास करते रहे हैं? स्व० नंद कुमार पटेल एवं उनके पुत्र के बंधक होने के समय ऐसा नहीं करने का कारण क्या था?

8. सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर, श्री अलेक्स पॉल मेनन के अपहरण एवं रिहाई में किस तरह के समझौते नक्सलियों के साथ किये गये थे? क्या उनका कोई संबंध स्व० महेन्द्र कर्मा की सुरक्षा से था?

सामान्य प्रशासन विभाग, छ०ग० शासन, रायपुर के पत्र क्रमाँक एफ 3-5/2013/1-7, रायपुर दिनाँक-07/06/2013 द्वारा आयोग का मुख्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, बस्तर (जगदलपुर) घोषित किया गया है । **आयोग का कैम्प कार्यालय बिलासपुर में है ।**

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो भी व्यक्ति, समूह या संस्था उपरोक्त घटना के संबंध में जानकारी रखते हैं, वे कार्यालयीन अवधि में आयोग कार्यालय, जगदलपुर **या कैम्प कार्यालय, सचिव-सह-एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, बिलासपुर** में जानकारी लिखित में, शपथ-पत्र में अपने पहचान से संबंधित समग्र दस्तावेज जैसे मतदाता-सूची, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय-पत्र, राशन-कार्ड, गाँव के सरपंच अथवा किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण-पत्र, कृषक होने की स्थिति में खाते की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित इस अधिसूचना के **प्रकाशन तिथि के 15 दिनों के भीतर** हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करें ।

यदि कोई व्यक्ति, समूह या संस्था घटना से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी का साक्ष्य, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो वे विषय-वस्तु एवं पूर्ण पते सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अपना पंजीयन, कार्यालयीन अवधि में आयोग के कार्यालय में करा सकते हैं, जाँच-आयोग द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली प्रक्रिया विनियम अलग से अधिसूचित की जा रही है ।

सुविधा हेतु अपेक्षित शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है ।

आज दिनाँक-02/08/2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी ।

**हस्ता./-**

**(संतोष कुमार तिवारी)**
**सचिव.**

शपथ–पत्र का प्रारूप

## जीरम घाटी घटना की जाँच हेतु गठित विशेष न्यायिक जाँच आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु

समक्ष पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट स्थान .....

शपथकर्ता का विवरण – .....

नाम – .....

पिता/पति का नाम – .....

उम्र – .....

व्यवसाय – .....

निवास स्थान (पूर्ण पता) – .....

.....

थाना क्षेत्र – .....

तहसील क्षेत्र – .....

जिला – .....

राज्य – .....

### शपथ–पत्र

मैं ..... पिता/पति ..... उम्र ..... वर्ष,

व्यवसाय ..... निवासी .....

शपथपूर्वक निम्नांकित कथन करता/करती हूँः–

1. यह कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता दिनाँक ..... को घटना के समय ..... स्थान पर स्वयं उपस्थित था/थी एवं मेरे समक्ष जाँच बिंदु क्रमाँक ..... से संबंधित निम्न बातें हुईः–

जाँच बिंदु क्रमाँक 1 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 2 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 3 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 4 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 5 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 6 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 7 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 8 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 9 .....

घटना हुई, जिसका/जिसकी मैं स्वयं चक्षुदर्शी हूँ।

**या**

मुझे इस घटना के संबंध में जिन बिंदुओं पर जाँच होनी है, उन बिंदुओ के संबंध में निम्न जानकारीः–

जाँच बिंदु क्रमाँक 1 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 2 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 3 .....

जाँच बिंदु क्रमाँक 4 .....
जाँच बिंदु क्रमाँक 5 .....
जाँच बिंदु क्रमाँक 6 .....
जाँच बिंदु क्रमाँक 7 .....
जाँच बिंदु क्रमाँक 8 .....
जाँच बिंदु क्रमाँक 9 .....
..... स्त्रोत प्राप्त हुई है, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ/करती हूँ, जिसे मैं सत्य मानता हूँ/मानती हूँ ।

2. मैं अपने द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में दस्तावेजों की मूल प्रति/अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ एवं आयोग द्वारा आहूत किये जाने पर अथवा साक्ष्य के समय दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा/करूंगी ।

**शपथकर्ता**

## सत्यापन

मैं ..... शपथपूर्वक निम्न सत्यापन करता हूँ/करती हूँ कि कण्डिका 1 से ..... की जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से एवं कण्डिका ..... से ..... की जानकारी ..... स्त्रात से प्राप्त ज्ञान, जिसे मैं सत्य मानता हूँ/मानती हूँ और विश्वास करता हूँ/करती हूँ, से सत्य है ।

अतः आज दिनाँक ..... को स्थान ..... में सत्यापित कर अपना हस्ताक्षर किया/की/अंगूठा निशानी लगाया/लगायी ।

**शपथकर्ता**

**स्थानः–**
**दिनाँकः–**

3. **नोटः–**

1. शपथकर्ता से अपेक्षा है कि वे समस्त जानकारी शपथ–पत्र द्वारा ही प्रदान करें ।

2. शपथ–पत्र में जो जानकारी शपथकर्ता के स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान में है और जो अन्य स्त्रोत से प्राप्त ज्ञान में है, उन्हें पूर्णतः स्पष्ट लिखते हुए जानकारी दें ।

3. अपने पहचान के लिए शपथकर्ता, शपथ–पत्र पर अद्यतन स्वयं के फोटो चिपकाकर सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करावें ।

4. अपने पहचान स्थापित करने के लिए शपथकर्ता निम्न दस्तावेजः–
   (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय–पत्र,
   (ii) राशन–कार्ड,
   (iii) स्थानीय मतदाता सूची, जिसमें उसका नाम उल्लेखित हो,
   (iv) स्थानीय कृषक होने से संबंधित खाता की स्वअभिप्रमाणित/पब्लिक नोटरी से अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं
   (v) सरपंच द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण–पत्र
   (vi) किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र, संलग्न करें ।

5. शपथ दिलाने वाले अधिकारी अपने सील, शपथ की तिथि, अभिप्रमाणित करने वाले साक्षी का पूर्ण पता, शपथ–पत्र निष्पादन का स्थान और तिथि स्पष्ट लिखें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस विशेष प्राधिकारी के समक्ष, किस शपथकर्ता द्वारा किसकी उपस्थिति में, किस दिन, किस स्थान पर शपथ लिया गया है ।

जीरम घाटी घटना की जाँच हेतु गठित विशेष न्यायिक जाँच आयोग, मुख्यालय जगदलपुर,
(जीरम घाटी में घटित घटना के जाँच हेतु गठित विशेष न्यायिक जाँच आयोग)

## प्रक्रिया विनियम

आयोग के अध्यक्ष माननीय **श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा,** न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित, छ०ग० राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमाँक एफ 3-5/2013/1-7 (पार्ट-1), रायपुर, दिनाँक-28/05/2013 द्वारा थाना-दरभा अंतर्गत जीरम घाटी क्षेत्र में दिनाँक-25/05/2013 को नक्सलियों द्वारा कारित हिंसात्मक घटना की विशेष जाँच हेतु आयोग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले प्रक्रिया विनियम निम्नानुसार होंगेः-

1. आयोग की कार्यवाही सारभूत रूप से हिन्दी में होगी, पर कार्यवाही का कोई अंश आयोग के अध्यक्ष के आदेश/निर्देश से अंग्रेजी में भी किये जा सकेंगे ।

2. आयोग का मुख्यालय संभागीय आयुक्त कार्यालय, बस्तर (जगदलपुर) एवं कैम्प कार्यालय, बिलासपुर है ।

3. आयोग का कार्यालय प्रतिदिन राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश के सिवाय सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे एवं 2:00 बजे से 5:00 बजे तक खुला रहेगा । आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवसों में भी आयोग का कार्यालय खुला रह सकेगा ।

4. सामान्यतः आयोग अपनी बैठकें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर स्थित कैम्प कार्यालय में करेगा, परंतु आवश्यकतानुसार बैठकें राज्य के अन्य किसी स्थान पर भी समय, तिथि और स्थान की पूर्व अधिसूचना जारी कर, की जा सकेगी ।

5. चूँकि जाँच का विषय लोक महत्व का है, अतः आयोग की कार्यवाही जन सामान्य के लिये खुली रहेगी, जब तक सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से प्रक्रिया में कार्यवाही के किसी अंश को आयोग के अध्यक्ष "कैमरा प्रोसेसिंग" में करना उचित न समझे ।

6. आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र अथवा आयोग के निर्देश/माँग पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र, विधि द्वारा शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पर तैयार, शपथ-पत्र ही आयोग में मान्य होंगे । शपथ-पत्र, समस्त जानकारी एवं दस्तावेजों की अपेक्षित प्रतियों सहित जानकारी, आयोग के कार्यालय बस्तर (जगदलपुर) या कैम्प कार्यालय, सचिव-सह-एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । प्रस्तुतकर्ता ऐसे शपथपत्रों एवं प्रपत्रों की पावती प्राप्त कर सकेंगे ।

7. अपेक्षित जानकारी शपथ-पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित किये जा सकेंगे, पर पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करने की दशा में प्रेषक का पूर्ण डाक पता लिफाफे में लिखा जाना आवश्यक होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शपथ-पत्र एवं प्रपत्र किस व्यक्ति द्वारा प्रेषित किये गये हैं । अपूर्ण पते वाले डाक आयोग द्वारा अस्वीकार किये जा सकेंगे ।

8. शपथ-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं । यदि शपथ-पत्र किसी समूह या संस्था की ओर से दिया जा रहा है, तो संबंधित समूह या संस्था के सक्षम पदाधिकारी या कार्यकारिणी द्वारा जारी अधिकार पत्र संलग्न करना होगा ।

9. प्रत्येक शपथ-पत्र प्रथम व्यक्ति के नाम पर ही कण्डिकाओं में क्रमवार विभक्त होंगे । प्रत्येक विषय से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी के तथ्य को अलग-अलग कण्डिकाओं में लिखा जावेगा । शपथ-पत्र में शपथकर्ता के द्वारा अपना पूर्ण वास्तविक और विस्तृत पता एवं व्यवसाय लिखा जाना आवश्यक होगा ।

10. शपथ-पत्र का कोई अंश, प्राप्त जानकारी पर आधारित होने की दशा में, जानकारी का पूर्ण स्त्रोत शपथ-पत्र में ही लिखना आवश्यक होगा । शपथ-पत्र में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि किन कण्डिकाओं की जानकारी शपथकर्ता के स्वयं की है और किन कण्डिकाओं की जानकारी उसे किन स्त्रोतों से कब प्राप्त हुई है, जिन पर वह विश्वास करता है या सत्य समझता है ।

11. शपथ–पत्र मूल प्रति एवं दो अतिरिक्त प्रति सहित प्रस्तुत किये जायेंगे, जिससे आवश्यकतानुसार शपथ–पत्र की प्रति विपक्ष अथवा किसी पक्ष को प्रदाय की जा सके ।

12. शपथ–पत्र के साथ विश्वास किये जाने वाले मूल दस्तावेज अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावेगी एवं मौखिक कथन के समय ऐसे शपथकर्ता को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । मूल प्रति प्रस्तुत न होने की दशा में आयोग ऐसे सत्यापित प्रति को साक्ष्य में अस्वीकार कर सकेगी । यदि दस्तावेज की मूल प्रति शपथकर्ता के अधिकार में न हो और किसी अन्य व्यक्ति अथवा कार्यालय के आधिपत्य में हो तो शपथकर्ता अपने शपथ–पत्र में उस व्यक्ति का नाम और उसका पता/कार्यालय एवं अधिकारी का नाम/पते का उल्लेख करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि वह दस्तावेज किस व्यक्ति या अधिकारी के नियंत्रण में है और किस हैसियत से है ।

13. कमीशन ऑफ इंक्वायरी (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5 में जारी सूचना के प्रतिउत्तर में दिये गये कथनों की जाँच पर आवश्यक पाये जाने पर आयोग ऐसे शपथ–पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को साक्ष्य (परीक्षण, प्रतिपरीक्षण) हेतु प्रस्तुत होने का निर्देश दे सकेगा एवं उसके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के प्रकाश में उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा ।

14. साक्ष्य के क्रम में सर्वप्रथम नियम 5(2)(ए एवं बी) के अंतर्गत प्राप्त कथनों के संबंध में साक्षियों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जावेगा, ऐसे व्यक्तियों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण पश्चात् केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किये जा सकेंगे ।

15. आयोग उन सभी व्यक्तियों, जिनके द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है और मौखिक कथन करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, के कथन/परीक्षण के लिए बाध्य नहीं है एवं ऐसे व्यक्तियों को भी अपना परीक्षण कराने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

16. जिन साक्षियों का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जावेगा, उनके साक्ष्य अन्य पक्षकारों के प्रतिपरीक्षण के दायित्व के अधीन होंगे । अन्य पक्षकारों एवं व्यक्तियों को उनके प्रतिपरीक्षण की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकेगी।

17. आयोग स्वविवेकानुसार किसी व्यक्ति को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु आहूत करने से इन्कार कर सकेगा या उन्हें आहूत करने के स्थान पर प्रश्नावली के माध्यम से शपथ–पत्र पर परीक्षण हेतु अनुमति दे सकेगा ।

18. आयोग किसी साक्षी को जिसका कथन अनावश्यक, असंगत, विलंब अथवा तंग करने के प्रयोजन से हो, अभिलिखित कराने से इन्कार कर सकेगा ।

19. आयोग स्वयं या किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार के आवेदन पर पिटीशन, शपथ–पत्र अथवा किसी दस्तावेज के अंश को काट या मिटा देगा या आयोग को प्रस्तुत कोई दस्तावेज लौटा देगा, जो कि आयोग के अनुसार असंगत, असंबद्ध, अनावश्यक, निरर्थक या बेवजह आक्रामक, फुहड़ या लोक निंदनीय हो ।

20. पंजीयन विभाग से प्राप्त मूल पंजीकृत दस्तावेज मूल रूप में अथवा सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार उनके निष्पादन के विषय में बिना किसी औपचारिक प्रमाण के ग्राह्य किये जा सकेंगे । इसी तरह शासकीय विभाग, विधिक, निकाय, राज्य शासन के अधीन तथा सहकारी संस्था से संबंधित शासकीय पंजी, जिसमें कार्यालयीन टीप, आदेश आदि शामिल है, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के, यदि अन्यथा कोई रियायत हेतु वैध दावा न हो, ग्राह्य होगा, जब तक कि आयोग किसी विशिष्ट प्रकरण में उसे साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी तरह प्रमाणित कराना न चाहे ।

21. नियम 4(2) तथा (6) जाँच आयोग नियम, 1972 के अंतर्गत आयोग के सचिव/अपर सचिव को समंस, सूचना–पत्र आदि के हस्ताक्षर करने तथा कमीशन द्वारा जारी अन्य आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

22. आयोग प्रक्रिया विनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर सकेगा और किसी अंश को हटा सकेगा ।

हस्ता./-

**(संतोष कुमार तिवारी)**
**सचिव.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.